

18.12.19 फावली पेश | वकील जार्जो ड्य. | जांच रिपोर्ट  
नायब तहसीलदार सांचोर उक्त शामिल फावली  
की गई। वही प्रती वकील सुनी गई। प्रती  
वकील के अनुसार प्रती की खादेरी अराजी  
मौजा कांफ में नवीन क्षेत्र खसरा संख्या  
112, 114, 295, 297, 315 आई हुई है उक्त  
अराजी में प्रथम बंदोस्ता में मूलका प्रती  
का नाम राजा की जगह राजा लिख दिया

गमा है। जबकि शर्मा के तमाम दस्तावेज  
 सजा राम का अमराराम के नाम से किये  
 हुए हैं। अतः आराजी में लिपि लिख  
 भूल सुधार कर राजा की जगह सजा राम  
 करना आवश्यक है। रिपोर्ट नए व तस्वीरों  
 के अनुसार प्रथम मिसल बंदोबस्त में  
 शर्मा का नाम राजा कल अमराराम दर्ज है।  
 जमाबंदी खेत 2071-74 के खाता नं.  
 207 के अमराराम नं. 112, 114, 295, 297 व  
 315 में राजा कल अमराराम दर्ज है। परिचय  
 पत्र आदि में सजा राम कल अमराराम  
 दर्ज है। फावली पर अप्रत्यक्ष दस्तावेजों में  
 परिचय पत्र राशन कार्ड, आधार कार्ड, पंजीयन पत्र  
 बैंक पास बुक की धारणा उक्ति स्वप्रमाणित एवं  
 मिसल बंदोबस्त, मिलान दोषफल व जमाबंदी  
 खेत 2071 से 74 की प्रमाणित उक्ति पत्र की शर्त  
 है में शर्मा का नाम राजा व राजा दर्ज  
 है शर्मा द्वारा प्रस्तुत शर्मा पत्र धारा 136  
 136 राजस्व अधिनियम में शर्मा का नाम  
~~सजा~~ से राजा से राजा दुरुस्त करने योग्य  
 है परन्तु शर्मा द्वारा शर्मा पत्र में अपना  
 नाम राजा से सजा राम करवाना चाहता  
 है परन्तु इसके दायरे में रेखा कोड दस्तावेज  
 पत्र नहीं किया है कि लिपि लिख भूलका  
 सजा राम से अमराराम दर्ज हो गया है जिसे  
 दुरुस्त कर सजा राम किया जान उचित है।  
 शर्मा द्वारा शर्मा पत्र में जो अनुसंधान  
 चाहा गया है वो धारा 136 अधिनियम  
 में राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कोषाधीन  
 नहीं होने से शर्मा का नाम शर्मा है शर्मा  
 इसके लिए प्रथम से धारा 88 राजस्व  
 माशतवारी अधिनियम के तहत दावा पत्र कर  
 संस्था है इन शर्मा पत्र खारिज किया  
 जाता है। फावली फंडेशन सुधार लेन नकर  
 से पत्र की जाकर दाखिल दफ्तर है।

